संख्या– 1410 /9–1–16–473सा/12

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनु0–1 लखनऊः दिनॉक 28 जुलाई, 2016

विषयः– वेतन समिति 2008 के पंचम प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णय के कम में सरकारी सेवकों को स्वीकृत यात्रा भत्ता का समानता के आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–जी0–2–175/दस–2011–601/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के पंचम प्रतिवेदन में यात्रा भत्ता की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार सरकारी सेवकों के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2011 द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता की व्यवस्था से समानता के आधार पर नगर स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को समान शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन समान दरों पर तथा अगले प्रस्तर–2 व 3 में उल्लिखित शर्तो के अधीन इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से यात्रा भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

2 उक्त संशोधित भत्ते मात्र उन्हीं पदों/संवर्गो को देय होंगे जिन्हें यह भत्ते वर्तमान में मिल रहे हैं और संशोधन के फलस्वरूप कोई नये पद/संवर्ग इसमें सम्मिलित नही होंगे।

3 उक्त संशोधन के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्ययभार को सम्बन्धित निकाय स्वंय के संसाधनों से वहन करेगें और इसके लिये राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त सहायता संबंधित निकायों को नही दी जायेगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–8–1706/दस/16 दिनांक 25. जुलाई 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उ0प्र0।
5. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद उ0प्र0 द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0।
6. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत उ0प्र0 द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।